

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 17 (1) साप्र/4/08

जयपुर दिनांक 10.4.15

समस्त,
जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

विषय:- वर्ष 2015-16 में बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सैनानियों एवं उन के आश्रितों आदि को पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन और उपदान।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंधित बजट मद में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पेंशन एवं चिकित्सा भत्ते, चिकित्सा व्यय, स्वतंत्रता सैनानियों की मृत्यु देहावसान अनुदान, पुत्री विवाह अनुदान आदि व्यय के लिए निम्न प्रकार बजट प्रथम त्रैमास हेतु आवंटित किया जाता है :-

(राशि रुपये लाखों में)			
नाम	राशि	नाम	राशि
अजमेर	50.00	जैसलमेर	2.00
बांसवाड़ा	3.50	झालावाड़	2.50
बारां	2.50	झुंझूनु	90.00
बाड़मेर	2.50	जोधपुर	30.00
भरतपुर	50.00	कोटा	9.00
भीलवाड़ा	8.00	नागौर	13.00
बीकानेर	15.00	पाली	6.50
बूंदी	3.00	सवाई माधोपुर	2.50
चित्तौड़गढ़	8.00	सीकर	20.00
चुरू	30.00	टोंक	2.50
डूंगरपुर	4.00	सिरोही	3.00
दौसा	4.00	राजसमन्द	20.00
धौलपुर	4.00	करोली	14.00
श्रीगंगानगर	9.00	जयपुर	40.00
उदयपुर	40.00	प्रतापगढ़	3.00
हनुमानगढ़	8.00	अलवर	50.00
कुल योग:-			549.50

(अक्षरों रूपये पांच करोड उनचास लाख पचास हजार मात्र)

नोट:- समस्त जिला कलेक्टरों से निवेदन है उक्त राशि आपके अधीन कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को IFMS के माध्यम से आवश्यकतानुसार आवंटित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करें।

इस बजट मद के अन्तर्गत खर्च की गई राशि की मासिक सूचना पूर्ण विवरण सहित मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग को कृपया प्रति माह 1 तारीख तक भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय



(डॉ. मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि :-

- निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर ।
- सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग ।
- सम्बन्धित जिला कोषाधिकारियों को भेज कर लेख है कि स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन, चिकित्सा भत्ता आदि के लिए बजट आवंटन जिला कलेक्टरों को उपरोक्तानुसार किया गया है। अतः पेंशन का भुगतान समय पर IFMS के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावें तथा व्यय की सूचना प्रति माह 1 तारीख तक भिजवाने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
मुख्य लेखाधिकारी